दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

216/1

पत्रांक : 1605 /05/76/एक/2015–16 दिनांक : 21 जुलाई 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–फर्रूखाबाद।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	**खाता संख्या**	**आईएफएससी कोड**	**धनराशि**
आईडीबीआई बैंक	1317104000003629	IFSC Code IBKL0001317	**84.635**

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद के मो0 पल्ला तालाव पश्चिम में पुरानी गल्ला मण्डी पुलिया से छोटे सिंह यादव के मकान के आगे तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य।	4.520
2	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद के मो0 पुराना कोठा पार्चा में मैन रोड से मस्जिद होते हुए शमीम भाई के मकान से राशिद पेन्टर एवं हामिद के मकान तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य।	5.409
3	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद के वार्ड संख्या–3 रविदास नगर मेमरान फतेहगढ़ में जगदीश के मकान से लालाराम के मकान तक व रविन्द्र के मकान से रघुवीर के मकान तक एवं धनीराम बाल्मीक के मकान से रामनेरेश के मकान तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य	4.516
4	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूचाबाद के मो0 सूफी खा में चिलसरा मुख्य मार्ग से मो0 नाला फिदाई खा तक पेवर सड़क निर्माण कार्य	7.872
5	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद के मो0 नया कोठा पार्चा में नेहरू रोड मोड से खतराना तिराहे तक पेवर सड़क निर्माण कार्य।	1.826
6	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद के मो0 नगला किसानन बढ़पुर में महाराजा स्कूल से दयाराम के मकान होते हुये जगदीश के मकान वाया अमर सिंह के मकान तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य।	3.833
7	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद के वार्ड न0 12 गीतापुरम में शिवरतन पाल से जवाहर सिंह एवं उर्मिजला राठौर वाली गली में नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य।	6.057
8	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रूखाबाद	फर्रूखाबाद के मो0 इस्माइलगंज सानी में मुन्नालाल के मकान से अजय के मकान तक एवं बृजेश वाली गली तक इतेन्द्र वाली गली में नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य।	1.327
9	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचातय कमालगंज के मो0 अशोक नगर में श्रीकिशन गुप्ता के मकान से जख्खन के मकान तक एवं धुव कुमार मिश्रा के मकान से चूडी वाली गली तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य	2.238
10	फर्रूखाबाद	**मलिन बस्ती–83**	न0पं0	नगर पंचायत कमालगंज के मो0 अशोक नगर में रामप्रकाश की दुकान से	1.833

216/2

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
		बजट	कमालगंज	हरीशंकर के मकान तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य	
11	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचायत कमालगंज के मो0 आजाद नगर में दिनेश के मकान से हनुमान मन्दिर तक नाली पेबर सड़क निर्माण कार्य	7.103
12	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	फर्रुखाबाद मो0 बंगशपुरा में हजरत सइयद दूल्ला शाह की दरगार से उमर वक्श के गोदाम तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य	4.957
13	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचायत कमालगंज में रेलवे रोड बरगद के पेड से सवित शमा के मकान तक सुराज स्कूल के सामने एवं रमेश कुशवाहा के मकान से श्रीराम के मकान तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य	3.313
14	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचायत कमालगंज में राजीव हलवाई की दुकान से के0डी0 स्कूल तक एवं सीपू सेठ के मकान से अनिल के मकान तक एवं शिवधनी के मकान से मजिस्जद तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य	3.370
15	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचायत कमालगंज डाक घर से रामचन्द्र गुप्ता प्रधान के मकान तक एवं मैन रोड से समीर नर्सिंग होम से शफाकम के मकान तक नाली पेवर सड़क निर्माण कार्य	3.719
16	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचायत कमालगंज के मो0 अम्बेडकर नगर में सिद्धगोपाल के मकान से बाबूराम के मकान तक एवं मैन रोड से प्रेमपुष्प गेस्ट हाउस तक नाली पेबर सड़क निर्माण कार्य।	2.915
17	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचायत कमालगंज के मो0 अम्बेडकर नगर में इशरत के मकान से रामजी के मकान एवं गौरव वर्मा के मकान से ग्रीश कटियार के मकान तक नाली पेबर सड़क निर्माण कार्य।	4.235
18	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पं0 कमालगंज	नगर पंचायत कमालगंज के मो0 शास्त्रीनगर एवं सुभाष नगर में अशरफ के मकान से भोला पं0 के मकान से श्री किशन गुप्ता के मकान से कन्डेक्टर के मकान तक नाली पेबर सड़क निर्माण कार्य।	2.584
19	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद के मो0 कम्पाउन्ड में मूलचन्द्र के मकान से किशनलाल इलिस दयाल एवं सुन्दरलाल के मकान होते हुए मुख्य सडक तक नाली, पेवर सड़क निर्माण कार्य।	6.453
20	फर्रुखाबाद	**मलिन बस्ती–83 बजट**	न0पा0प0 फर्रुखाबाद	नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद हैवतपुर गडिया में निर्मित मा0 काशीराम कालोनी वाली रोड पर हरीराम के मकान से कालोनी तक एवं मस्जिद वाली रोड नाली पेबर सडक निर्माण कार्य	6.555
	योग				84.635

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

216/7

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि0 अभियन्ता–सूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक